न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी:– राज. सरकार जरिए पटवारी हल्का कालेड़ी

अप्रार्थी:– श्री आसूराम s/o मंगलराम खांसी निवासी कालेड़ी अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 133/19

निर्णय दिनांक:– 18/7/19

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेड़ी ने अप्रार्थी के विरूद्ध टी. पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत 2071 में सरहद कालेड़ी के खसरा नम्बर 272 मे किस्म गै.मु. श्मशान मे रकबा .02 हे. भू में पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है जिस पर वाद धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी मंगलराम ने दिनांक 18.6.19 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मौजा कालेड़ी के खसरा नम्बर 272 किस्म गै.मु. श्मशान में रकबा .02 हे. की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रु. रूपये प्रति हैक्टैयर की दर से अतिक्रमित रकबा .02 भूमि के .12 रुपए रूपये लगान का 50 गुणा 6 रुपए /– अक्षरे छः रुपए रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालाना रिपोर्ट पेश।

निर्णय आज दिनांक– 18.7.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा
उप तहसीलदार पीलवा